MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva from Tamil Nadu is associating. Now, Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba.

Inclusion of Manipuri Language in Manipuri script on Indian currency notes

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Hon. Chairman, Sir, Manipuri language means Meeteilon was included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution on 20th August, 1992 alongwith other languages like Konkani and Nepali. Accordingly, Konkani and Nepali were already included in Indian currency notes. Now, Manipuri is being taught upto M.A. first semester in the Manipuri script, Meetei Mayek.

I, therefore, request the Government through this august House to include Manipuri language in Manipuri script in Indian currency note which is the wish and a long cherished dream of our Manipuri people and hon. Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh. Thank you, Sir.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH: Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Reduction in scholarship amount being given to students belonging to the Scheduled Castes

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, किसी भी समाज और राष्ट्र का निर्माण बगैर शिक्षा के अधूरा है। इसी के संबंध में मैं सदन का ध्यान बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को दसमोत्तर कक्षा में मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का आनुपातिक संबंध 60:40 का रहा है, लेकिन इस दलित विरोधी सरकार ने वर्ष 2017-2018 से यह आनुपातिक संबंध 60:40 के स्थान पर 10:90 कर दिया है अर्थात 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 90 प्रतिशत राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालकर दलित समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का मन बना लिया है। हालत यह हो गई है कि राज्य

सरकारें जो पहले से ही आर्थिक संकट से गुज़र रही हैं, वे यह 90 प्रतिशत धन देने की जगह योजना को बंद करना ही उचित समझती हैं। मान्यवर, बीजेपी सरकार दलितों के ऊपर न केवल ...

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आप क्या चाहते हैं? बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार - सरकार सरकार होती है।

श्री अशोक सिद्धार्थ : सर, पिछले एक साल से यह मामला केबिनेट में विचाराधीन है, लेकिन प्रधान मंत्री जी को अभी समय नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में 14 राज्यों के 60 लाख दलित बच्चे छात्रवृत्ति न मिलने के कारण 10वीं कक्षा के बाद अर्थात 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अधर में ही छोड़ देंगे।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अगर दलितों की वास्तविक हितैषी है, तो जिस प्रकार दसमोत्तर कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक लोगों के बच्चों के लिए 100 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 75:25 आनुपातिक अंश केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का है, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के 60 लाख छात्रों के लिए भी 100 प्रतिशत केन्द्रीय स्कॉलरशिप देकर इन पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को संवारें, सुधारें और उनकी शिक्षा को सतत जारी रखें, धन्यवाद।

श्री सभापति: आपने इतना अच्छा विषय लिया, आपको उस विषय के ऊपर ध्यान देना था। फिर इधर-उधर गया, तो मामला गया। वैसे आपका विषय महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH: Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI N.R. ELANGO (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावरचन्द गहलोत): सभापति महोदय, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का एक फार्मूला 40 साल से अधिक समय से चल रहा था। उस फार्मूले का आधार यह था कि पंचवर्षीय योजना के पांच सालों में सबसे अधिक जिस राज्य ने उस साल में पैसा दिया है, वह committed liability बन जाती थी और फिर उतना पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता था और बाकी जो पैसा बचता था, उसे केन्द्र सरकार देती थी। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि कई राज्य - मैं यह कहूं कि आधे से अधिक राज्यों को उस फार्मूले के हिसाब से एक पैसा भी केन्द्र से नहीं जाता था। हमने इस फार्मूले को बदलकर के 60:40 का रेश्यो कर दिया, अर्थात 60 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार देगी और 40 परसेंट पैसा राज्य सरकार देगी। इस कारण से अब कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा, जहां पर केन्द्र से छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। हर राज्य को केन्द्र से 60 परसेंट पैसा मिलेगा, जितना पिछले साल उन्होंने खर्च किया है, हम उसका 60 परसेंट पैसा देंगे। निश्चित रूप से अब सभी राज्यों को छात्रवृत्ति मिलेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद मंत्री जी।

श्री अशोक सिद्धार्थ : लेकिन सभापति महोदय ..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: No, no, please. ....*(Interruptions)*... This is Zero Hour. If necessary, you can call Shri Ashok Siddharth and उनको समझाइए। कोई विषय है तो जाकर आपस में मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ..(**व्यवधान**).. श्री मुजीबुल्ला खान, आप बोलिए। ..(**व्यवधान**)..

Poor Condition/maintenance of toilets constructed under the Swachh Bharat Mission

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के अच्छे प्रोग्राम्स में "स्वच्छ भारत मिशन" भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मान्यवर प्रधान मंत्री जी ने इसको खास कर के बहुत सीरियसली लिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि काग़ज़ और क़लम में जो दर्ज है कि "स्वच्छ भारत मिशन" प्रोग्राम में कितने करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, क्या वे सचमुच में बने हैं या सिर्फ काग़ज़ पर बने हैं?